

NCRPS No. 5579/2019

सं: 797-ई/पालिसी/2019/सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति

दिनांक: .06.2019

अपर महाप्रबन्धक/उ.म.रे./इलाहाबाद। समस्त प्रधान विभागाध्यक्ष/उमरे/इलाहाबाद। वरि.उप महाप्रबन्धक/उ.म.रे./इलाहाबाद। उप महाप्रबन्धक/सा./उ.म.रे./इलाहाबाद। मु.प्रशा.अधि/निर्माण/उ.म.रे./इलाहाबाद। चेयरमैन/आर.आर.सी./उ.म.रे./इलाहाबाद। उप मु.का.अधि./राज/आई.टी./मुख्या/उ.म.रे./इलाहाबाद। वरि.का.अधि./राज/आई.आर./मुख्या./उ.म.रे./इलाहाबाद। मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक/उ.म.रे./इलाहाबाद, आगरा एवं झाँसी। मुख्य कारखाना प्रबन्धक/उ.म.रे./वैगन रिपेयर शाप, झाँसी। मुख्य कारखाना प्रबन्धक/उ.म.रे./रेल स्पिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)। उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक/उ.म.रे./ झाँसी। उप मु.अभि/ सीपीओएच/ उ.म.रे./इलाहाबाद। उप मु.अभि./सीएसपी/उ.म.रे./इलाहाबाद। प्रधानाचार्य-सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर/उ.म.रे./झाँसी। प्रधानाचार्य-सिविल ट्रेनिंग सेन्टर/उमरे/कानपुर। प्रधानाचार्य-इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, उमरे/इलाहाबाद। प्रधानाचार्य -एरिया ट्रेनिंग सेन्टर/उमरे/झाँसी। प्रधानाचार्य -बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर,लोको/ उमरे/झाँसी। प्रधानाचार्य - बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/उमरे/ झाँसी। प्रधानाचार्य-बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशाप/उमरे/झाँसी। प्रधानाचार्य-सी एण्ड डब्लू ट्रेनिंग सेन्टर/उमरे /कानपुर। प्रधानाचार्य- परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर/उमरे/झाँसी। प्रधानाचार्य-ट्रान्सपोर्टेशन, ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगज/उमरे/इलाहाबाद। प्रधानाचार्य - इलेक्ट्रिक, ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झाँसी। प्रधानाचार्य- इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर। मु. प्र. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली। उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाईन/इला./ झाँसी एवं आगरा। उप मुख्य इंजी /टी.एम.सी./लाईन/झाँसी। व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub: सेवा की तात्कालिक आवश्यकताओं में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करना ।

Ref: Railway Board's Letter No. E(NG)II/2017/RC-4/CORE/1 Dated 27.03.2019.

उपरोक्त संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 दिनांक 27.03.2019. की प्रतिलिपि संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Policy letters Circulated under NCRPs may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in (About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

संलग्नक- यथोक्त।

(V.P.Singh)
SPO/HQ

For General Manager/P

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/कैडर/अराज एवं राज/उमरे/इलाहाबाद।
2. कार्यालय अधीक्षक/यूनियन सेल/उमरे/इलाहाबाद।
3. कार्यालय अधीक्षक/गोपनीय अनुभाग/उमरे/इलाहाबाद।
4. महामंत्री, एन सी आर ई एस/उमरे/इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर एम यू/उमरे/इलाहाबाद।
6. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए/उमरे/इलाहाबाद।
7. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसियेशन/उमरे/इलाहाबाद।
8. महामंत्री ओबीसी एशोसियेशन/उमरे/इलाहाबाद।

RBB-2019-936

16-4-19

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1

नई दिल्ली, दिनांक 27.3.2019

महाप्रबंधक (पी)

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय:- सेवा की तात्कालिक आवश्यकताओं में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करना।

संदर्भ:- (i) सं. ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1 दिनांक 11.12.2009 (आरबीई सं.219/2009)

(ii) सं. ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1 दिनांक 16.10.2017 (आरबीई सं.150/2017)

(iii) सं. ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1 दिनांक 12.12.2018 (आरबीई सं.193/2017)

आपका ध्यान बोर्ड के उक्त उल्लिखित पत्रों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति के तौर-तरीकों और उन्हें दिए जाने वाले पारिश्रमिक के संबंध में हैं। कुछ रेलों ने बोर्ड को सूचित किया है कि 16.10.2017 से पहले और बाद में पुनः नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संशोधित दरों/पारिश्रमिक में असमानता संबंधी समस्या है। इस समस्या के बारे में एआईआरएफ पीएनएम की कार्यसूची की मद सं. 18/2018 में भी उल्लेख किया गया है। इस मामले की बोर्ड कार्यालय में सावधानीपूर्वक जांच की गई है और वित्त निदेशालय की सहमति से निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है कि :

क) सभी कर्मचारी, जिन्होंने 16.10.2018 की स्थिति के अनुसार आरबीई सं.219/2009 के तहत विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुसार दैनिक दरों पर एक वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है और वर्तमान में भी इसी प्रकार कार्यरत हैं, 16.10.2017 (आरबीई सं.150/2017) के परिपत्र के संबंध में 16.10.2018 से मासिक दर के पात्र होंगे। यह नीचे दिए गए (ख) के अध्यधीन है।

ख) जहां किसी पुनः नियुक्त कर्मचारी के मौजूदा ठेके में लिखित रूप से विनिर्दिष्ट किया गया हो कि विस्तारित अवधि एक वर्ष से अधिक समय तक वैध रहेगी और यह 16.10.2018 से आगे भी जारी रहेगी, तो ऐसी स्थिति में 2017 की दरों के अनुसार पात्रता में संशोधन केवल उस विस्तारित तारीख से ही स्वीकार्य होगा।

उप मुकाबिले (प्रशा) ग) तदनुसार उपर्युक्त (क) और/अथवा (ख) के अनुसार यथा लागू संशोधित निबंधन एवं शर्तें तैयार की जाएंगी। संशोधित ठेके में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि इसकी वैधता एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और लागू निबंधन एवं शर्तों के अनुसार इसका नवीकरण किया जा सकता है। अन्य सामान्य शर्तें (अधिकतम आयु सहित) इसी प्रकार लागू रहेंगी।

उप मुकाबिले (अर्थ) अध्यक्ष/रेलवे प्रशासक, पश्चिम मध्य रेलवे के दिनांक 04.09.2018 के पत्र सं. डब्ल्यूसीआर/वी-एचके/कोम्प/2018/अगस्त/11 का निपटान हो जाता है।

उप मुकाबिले (व्यक्ति) उप मुकाबिले (व्यक्ति) उप मुकाबिले (व्यक्ति)

पालार

18/04/19

R
AM
4/6/19

नीरज कुमार
(नीरज कुमार)
निदेशक स्था. (एन)II
रेलवे बोर्ड